O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3343
Date 03 NOV 2020
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में अपीलीय अधिकारी श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 20/2020 दिनांक 21.07.2020

अंकिता गिरी,
अंबिकापुर

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

—:: आदेश ::—

(दिनांक 02/11/2020 को पारित)

आवेदिका अंकिता गिरी, अंबिकापुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 16.07.2020 प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 20/2020 दिनांक 21.07.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) आवेदिका द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन दिनांक 07.02.2020 के माध्यम से निम्न जानकारी चाही गई है :—

विज्ञापन क्रमांक 1762 —1763 दिनांक 18.07.2018 में सहायक अभियंता (प्रशिक्षु) का परीक्षा दिनांक 05.07.2019 को घोषित कर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया गया है। परन्तु आज दिनांक पर्यन्त तक आपके द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी नही किया गया है। अतः प्रतीक्षा सूची प्रदान करें।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 32 दिनांक 10.08.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 19.08.2020 को निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी एवं आवेदिका को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को सुनवाई में जनसूचना अधिकारी उपस्थित तथा आवेदिका अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

अपील की अगली सुनवाई दिनांक 18.09.2020 को नियत की गई। नियत तिथि को COVID-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यालय को Sanitize किया गया था। जिसके कारण उक्त तिथि को प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही किया जाना संभव नही था। जिसकी सूचना आपको दूरभाष के माध्यम से दिया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता COVID-19 संक्रमण से ग्रसित होने के कारण कुल 22 दिनों तक अवकाश पर रहे है। जिसके कारण अपील के सुनवाई में विलंब हुआ है।

पत्र क्रमांक 56 दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से अपील प्रकरण की अगली सुनवाई पुनः दिनांक 28.10.2020 को निर्धारित की गई। जिसकी सूचना दोनो उभय पक्ष को दी गई। आवेदिका को सुनवाई तिथि के संबंध में सूचना दूरभाष के माध्यम से भी दिया गया है।

निर्धारित तिथि को आवेदिका पुनः अनुपस्थित एवं जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) जनसूचना अधिकारी का तर्क कि कंडिका 02/–टीप में आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.)–आठ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पदों के संबंध में प्रतीक्षा सूची तैयार नही की गई है, अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। तथापि दस्तावेज परीक्षण/साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का प्राप्तांक पॉवर कपनी के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन आवेदिका कर सकती है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से आवेदिका को पत्र क्रमांक 835 दिनांक 05.03.2020 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) आवेदिका का अपील आवेदन तर्क कि उन्हे चाही गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नही करायी गई है। तथा जो जानकारी दी गई है वह भ्रामक है। अतः आवेदिका को प्रतीक्षा सूची प्रदान करें। तथा प्रतीक्षा सूची जारी न करने की स्थिति में उसका कारण लिखित में प्रदान करें।

(iii) संबंधित प्रभाग के (DPIO) का तर्क कि आवेदिका द्वारा विज्ञापन क्रमांक 1762 –1763 दिनांक 18.07.2018 में सहायक अभियंता (प्रशिक्षु) का परीक्षा दिनांक 05.07.2019 को घोषित कर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया गया है। परन्तु आज दिनांक पर्यन्त तक आपके द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी नही किया गया है, अतः प्रतीक्षा सूची की जानकारी चाही गई है।

तत्संबंध में लेख है कि उक्त पद के संबंध में प्रतीक्षा सूची तैयार नही की गई है, अतः जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नही है। तथापि उक्त पदो के संबंध में आवेदिका दस्तावेज परीक्षण/साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का प्राप्तांक जो पॉवर कपनी के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर सकती है।

जहॉ तक आवेदिका का अपील का प्रश्न है आवेदिका को पूर्व में ही प्रकरण के स्पष्टतः से यह अवगत करायी जा चुकी है कि उक्त पदों के संबंध में प्रतीक्षा सूची तैयार नही की गई है, अतः प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

आवेदिका द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी न करने की स्थिति में उसका कारण लिखित में चाही गई है। तत्संबंध में लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली, के ज्ञापन संख्या क्रमांक 1/7/2009–आई.आर. दिनांक 01.06.2009 में निहित तथ्यों के अनुसार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द सूचना में क्या, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नही किए गये है। अतः प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है।

लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नही कर सकता है कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नही किया गया है।

"भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, के ज्ञापन संख्या 1/18/2011–आई. आर दिनांक 16 सितम्बर 2011 के अनुसार " मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो

और जो लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने की बाध्यता नही है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है, वह विधिसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।

आवेदिका द्वारा सहायक अभियंता (प्रशिक्षु) के भर्ती के संबंध में प्रतीक्षा सूची की जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में लेख है कि उक्त पदों के संबंध में प्रतीक्षा सूची तैयार नही की गई है। अतः प्रतीक्षा सूची की प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतएव प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता परिलक्षित नही होता है।

परिणामतः कंडिका 04 एवं 05/-टीप के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 20/2020 दिनांक 21.07.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक -0771-2574700

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -20/2020/ 62 रायपुर, दिनांक 02/11/2020

प्रतिलिपि :-

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)-दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रबंधक (मा0सं0)-आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) अंकिता गिरी, डी.सी.रोड़, कलेक्टर बंगला के बगल में, गौरी वार्ड, अंबिकापुर सरगुजा, (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर -उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :- सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
पिन - 492002

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक -0771-2574700